न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 45/2025(GCMS : 2025/51)

आवास फाईनेंशियर्स लिमिटेड, रजिस्टर्ड पता 201, 202 द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्कवायर मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जयपुर–302020 व **स्थानीय शाखा** नजदीक राजस्थान पत्रिका मार्ग, आईसीआईसीआई के ऊपर शिव चौक, सूरतगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि प्रेम सुथार

बनाम

1. **जलेन्द्र नाथ** पुत्र श्री रजीराम नाथ निवासी 80 के, 2 बीकेएम, भोपालपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर पिन नं. 335704 **अन्य पता** पट्टा संख्या 47, बुक संख्या 21, ग्राम पंचायत 3 एनडी, चक 4 केएएम (खाल) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. **महेन्द्र नाथ** पुत्र श्री राजीराम निवासी 4 केएएम रामसिंहपुर तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर पिन नं. 335703
3. **सरला देवी** पत्नी श्री जलेन्द्र नाथ भोपालपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर पिन नं. 335704
4. **दिनेश कुमार** पुत्र श्री आशा राम भोपालपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर पिन नं. 335704

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

17.12.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री योगेन्द्र कुमार मूण्ड ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण जलेन्द्र नाथ, महेन्द्र नाथ, सरला देवी एवं दिनेश कुमार को ऋण सुविधा के रूप में 7.00/– लाख रूपये ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 22.10.2024 को 8,33,655/– रूपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी जलेन्द्र नाथ द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 47, बुक संख्या 21 ग्राम पंचायत 3 एन.डी. चक 4 के.ए.एम. (खाल) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर जिसके उत्तर दिशा में रूपनाथ, दक्षिण दिशा में महेन्द्र नाथ पुत्र रजीराम, पूर्व दिशा में सड़क, पश्चिम दिशा में इन्द्राज नाथ है, जिसका साईज 3228 वर्गफुट है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया [illegible] कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थी** [illegible] **नाथ, सरला देवी एवं दिनेश कुमार** को ऋण सुविधा के रूप में [illegible] 31.10.2017 को 4.50/– लाख रूपये एवं दिनांक 15.03.2018 को 2.5[illegible]– लाख रूपये कुल 7.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये सात लाख मात्र) स्वीकृत किये गये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manjunath
Date: 2026.01.20 12:44:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी जलेन्द्र नाथ ने अपनी अचल सम्पत्ति **पट्टा संख्या 47, बुक संख्या 21 ग्राम पंचायत 3 एन.डी. चक 4 के.ए.एम. (खाल) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर जिसके उत्तर दिशा में रूपनाथ, दक्षिण दिशा में महेन्द्र नाथ पुत्र रजीराम, पूर्व दिशा में सड़क, पश्चिम दिशा में इन्द्राज नाथ है, जिसका साईज 3228 वर्गफुट है,** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 05.05.2024 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थी सरला देवी को छोड़कर शेष सभी अप्रार्थीगण को धारा 13(2) की तामील हो गये है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्ज़ा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों / जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में **अप्रार्थी जलेन्द्र नाथ की अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 47, बुक संख्या 21 ग्राम पंचायत 3 एन.डी. चक 4 के.ए.एम. (खाल) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर जिसके उत्तर दिशा में रूपनाथ, दक्षिण दिशा में महेन्द्र नाथ पुत्र रजीराम, पूर्व दिशा में सड़क, पश्चिम दिशा में इन्द्राज नाथ है, जिसका साईज 3228 वर्गफुट है,** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 22.10.2024 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार [illegible] 10.2024 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के [illegible] **अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 23.10.2024 को भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण जलेन्द्र नाथ, महेन्द्र नाथ**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:44:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

एवं दिनेश कुमार को 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गये है परन्तु अप्रार्थी सरला देवी को धारा 13(2) का नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) का नोटिस अप्रार्थीगण के निवास पर दिनांक 04.11.2024 को चस्पा कर दो समाचार पत्रों सीमा संदेश एवं दी इंडियन एक्सप्रैस में दिनांक 07.11.2024 को प्रकाशित करवाया है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी जलेन्द्र नाथ द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आवास फाईनेंशियर्स लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी जलेन्द्र नाथ द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 47, बुक संख्या 21 ग्राम पंचायत 3 एन.डी. चक 4 के.ए.एम. (खाल) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर जिसके उत्तर दिशा में रूपनाथ, दक्षिण दिशा में महेन्द्र नाथ पुत्र रजीराम, पूर्व दिशा में सड़क, पश्चिम दिशा में इन्द्राज नाथ है, जिसका साईज 3228 वर्गफुट है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा [illegible] से प्रभावित [illegible] है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को [illegible]नार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:44:03 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर